**निरीक्षण समिति** उन लोगों के लिए एक स्वतंत्र साधन है जिन्हें विश्वास है कि उन्हें विश्व बैंक से वित्तीय समर्थन पाने वाली किसी परियोजना के कारण हानि पहुंची है या पहुंच सकती है। इस निरीक्षण समिति द्वारा विश्व बैंक की परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को विश्व बैंक की कार्यकारी निदेशक समिति से सीधा सम्पर्क करने का मौका मिलता है।

अलग-अलग देश से आए तीन सदस्य इस निरीक्षण समिति पर पांच साल के लिए बैठते हैं। इस स्वतंत्र और निष्पक्ष निरीक्षण समिति का लक्ष्य तथ्य की खोज है ताकि विश्व बैंक की उधार देने की कार्यवाहियां उसकी अपनी आन्तरिक परिचालन नीतियों के अनुकूल हों। निरीक्षण समिति के वेब साईट पर निरीक्षण समिति की गतिविधियों और उदाहरणों के बारे में जानकारी उपलब्ध है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था (IDA) या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (IBRD) द्वारा कम से कम कुछ वित्तीय सहायता पाने वाली हर परियोजना या कार्यक्रम निरीक्षण समिति के अधीन है। निरीक्षण समिति के सामने तरह-तरह की परियोजना से सम्वन्ध रखने वाले निवेदन आ चुके हैं, जैसे कि वांध, पाईपलाइन, वन, विद्युत उत्पादन, तथा वुनियादी समन्वयन उधार आदि। वांग्लादेश, ब्राज़ील, चाड, चीन, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पैराग्वे, फ़िलिपीन्स, तथा यूगान्डा जैसे देशों के लोगों ने निरीक्षण समिति के सामने अपना अपना निवेदन पेश किया है।

# निरीक्षण समिति

*स्वतंत्रता*

*निष्पक्षता*

*ईमानदारी*

"Accountability at the World Bank: The Inspection Panel 10 Years On"
(प्रकाशित 2003)

**निरीक्षण समिति से निवेदन करने पर निरीक्षण समिति की किताब का अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तथा स्पैनिश अनुवाद मुफ्त में मिल सकता है।**

**सम्पर्क सूचना**


**Inspection Panel**
**1818 H Street, NW**
**Washington, DC 20433, USA**

**टेलिफ़ोन** : (202) 458-5200
**फ़ैक्स** : (202) 522-0916
**ई मेल** : ipanel@worldbank.org
**इंटरनेट** : www.inspectionpanel.org


विश्व बैंक

# निरीक्षण समिति

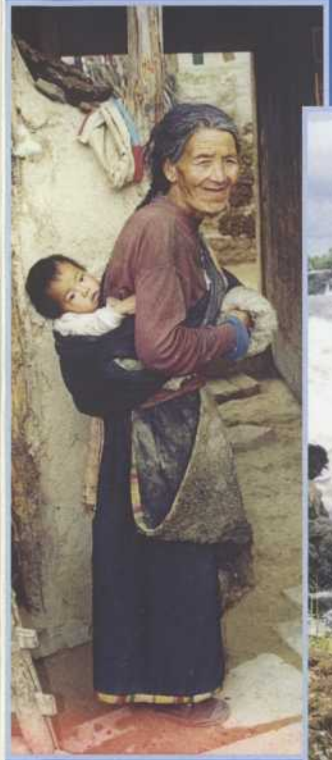

*आपकी आवाज़ सुनी जा सके इसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं*

# निरीक्षण समिति की गतिविधि

## जांच का निवेदन करना

यदि आपको और आपके समुदाय के कम से कम एक और सदस्य को यकीन हो कि विश्व बैंक द्वारा वित्तीय समर्थन पाने वाली किसी परियोजना से आपको हानि पहुंच रही है या पहुंच सकती है, या कि विश्व बैंक अपनी परिचालन नीतियों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रहा है और इस उल्लंघन के कारण आपको हानि पहुंच रही है, तो आप विश्व बैंक के स्वतंत्र इंस्पेक्शन निरीक्षण समिति (जांच समिति) के पास जांच कराने का निवेदन (निवेदन) दर्ज़ कर सकते हैं।

आपका निवेदन किसी भी भाषा में दर्ज़ किया जा सकता है। कोई स्थानीय गैर सरकारी संस्था (एन.जी.ओ.) या आपका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी आपकी ओर से निवेदन दर्ज़ कर सकता है। कुछ खास हालातों में, या अगर आपके पास कोई स्थानीय प्रतिनिधि न हो, तो आपका प्रतिनिधित्व किसी विदेशी गैरसरकारी संस्था या समूह द्वारा किया जा सकता है। आप चाहें तो निरीक्षण समिति से कह सकते हैं कि आपका नाम गुप्त रखा जाए।

## किस तरह के निवेदन स्वीकार किए जाते हैं?

निवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा जब आपने पहले कभी विश्व बैंक के कर्मियों के सामने अपनी चिन्ताएं प्रकट की हों। ऐसा करने के लिए अपने देश में स्थित या निकटतम विश्व बैंक कार्यालय से सम्पर्क करें। आप इंस्पेक्शन निरीक्षण समिति को भी बता सकते हैं कि आपने विश्व बैंक से सम्पर्क कर लिया है।

विश्व बैंक के जवाब से अगर आप संतुष्ट न हों तो आप निम्नलिखित पते पर तुरंत जांच का निवेदन दर्ज़ कर सकते हैंः

**The Inspection Panel**
**1818 H Street, NW**
**Washington, DC 20433, USA**

परियोजना की शुरूआत होने से पहले भी आप निरीक्षण समिति के पास निवेदन दर्ज़ कर सकते हैं। ध्यान दें कि अगर परियोजना के लिए कर्ज़ अथवा/एवं उधार देना बंद हो चुका है, या 95 फीसदी अदायगी हो चुकी है, तो निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

## निवेदन का क्या होता है?

निरीक्षण समिति के पास जब कोई निवेदन पहुंचता है तो उसे पंजीकृत करने के बाद उसे विश्व बैंक के संचालकों के पास जवाब हेतु भेज दिया जाता है। फिर निरीक्षण समिति द्वारा निणय लिया जाता है कि इस विषय पर जांच पड़ताल होना चाहिये या नहीं, और निरीक्षण समिति अपना निणय विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ़ एक्ज़ेक्यूटिव डायरेक्टर्स (कार्य कारी निदेशक समिति यानि बोर्ड) के सामने पेश करती है। निरीक्षण समिति से सिफ़ारिश पाने के बाद जांच कराने का अंतिम निश्चय बोर्ड द्वारा लिया जाता है। इसके बाद निवेदन कर्ताओं को बोर्ड के निर्णय के बारे में सूचित किया जाता है। निरीक्षण समिति के वेब साईट पर जांच का निवेदन प्रकाशित कर दिया जाता है और निरीक्षण समिति की पात्रता रिपोर्ट, विश्व बैंक के संचालको का जवाब, तथा बोर्ड के निर्णय का विवरण सार्व जनिक सूचना बन जाती है।

अगर बोर्ड ने जांच पड़ताल कराने की मान ली, तो फिर निरीक्षण समिति परियोजना से सम्बन्ध रखने वाले दस्तावेज़ों का पुनरावलोकन करती है, विश्व बैंक के कर्मचारियों का साक्षात्कार लेती है, और निवेदन दर्ज़ करने वाले व्यक्तियों से मुलाकात करने के लिए परियोजना के स्थान पर जाती है। जांच पड़ताल खत्म होने पर, निरीक्षण समिति द्वारा बोर्ड के पास एक लिखित रिपोर्ट भेजी जाती है।

छः हफ़्तों के अंदर विश्व बैंक के संचालकों को इसका जवाब देना पड़ता है और यह बताना होता है कि वे निरीक्षण समिति की चिन्ताओं का कैसे समाधान करेंगे। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट और संचालकों का जवाब उसके बाद बोर्ड के सामने पेश किया जाता है और परियोजना के विषय में निर्णय लिया जाता है। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट, संचालकों की सिफ़ारिश, और बोर्ड के निर्णय का विस्तृत विवरण सार्वजनिक कर दिया जाता है और निरीक्षण समिति के वेब साईट पर इन्हें प्रकाशित कर दिया जाता है।

## मुझे निवेदन कैसे तैयार करना चाहिये?

इंस्पेक्शन निरीक्षण समिति को खत लिखेंः

- परियोजना(ओं) का नाम और परियोजना(ओं) का संक्षिप्त विवरण दें
- आप जो हानि अथवा/एवं क्षति सह चुके हैं, या सह रहे हैं, या सह सकते हैं, उसका वर्णन करें
- उन कमियों या चूक का विवरण करें जिनके लिए आपके हिसाब से विश्व बैंक को ज़िम्मेवार ठहराया जा सकता है। (यदि मालूम हो तो विश्व बैंक की उन नीतियों या प्रक्रियाओं की सूची दें जिनका आपके हिसाब से उल्लंघन हुआ है )
- बताएं कि आपने कब और कैसे विश्व बैंक के कर्मियों के साथ अपनी चिन्ताओं के बारे में बातचीत की और बैंक के कर्मियों के बयान या अपेक्षित कदमों से आप क्यों नहीं संतुष्ट हैं
- अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज़ साथ जोड़ें अगर आपके हिसाब से ये आपकी परिस्थिति में प्रासंगिक समझे जा सकते हैं

यदि आप किसी प्रभावित समूह के प्रतिनिधि हैं तो आपको प्रतिनिधित्व का सबूत पेश करना होगा।

# जांच निवेदन की प्रस्तावित रूप रेखा

सेवा मेंः Executive Secretary, (कार्यकारी सचिव महोदय)
The Inspection Panel
1818 H Street, NW, Washington, DC 20433, USA
फ़ैक्स नम्बर 202-522-0916; या देश के विश्व बैंक कार्यालय की सेवा में

1. हम **[ यहां नाम भरें ] [ इलाके का नाम भरें ]** नामक इलाके में रहते हैं अथवा/एवं यहां रहने वाले लोगों के प्रतिनिधि हैं।हमारा पता संलग्न हैं।

2. **[ स्थान/देश भरें ]** में स्थित **[ परियोजना का नाम अथवा/एवं संक्षिप्त विवरण भरें ]** के अंतर्गत विश्व बैंक की कमियों या चूक के कारण हमें हानि पहुंची है या पहुंचने की संभावना है।

3. **[ उस हानि या क्षति का वर्णन करें जिसे आपने परियोजना की वजह से सहा है या सह सकते हैं। ]** ____________________

4. [ **(यदि मालूम हो तो) विश्व बैंक की उन परिचालन नीतियों की सूची दें जिनका आपके हिसाब से उल्लंघन हुआ है।** ] ____________________

5. हमने निम्नलिखित मौके पर **[ तारीख बताएं ]** विश्व बैंक के कर्मियों के पास अपनी शिकायत **[ बताएं की शिकायत कैसे दर्ज़ की गई ]** द्वारा पेश की। हमें *कोई* जवाब नहीं मिला **[ या ]** हमें जवाब मिला *और* हम इनकी व्याख्याओं और जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि निम्नलिखित वजह से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ हैः ____________________

6. हमारा निवेदन है कि इंस्पेक्शन निरीक्षण समिति द्वारा विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के पास इन विषयों के बारे में जांच पड़ताल कराने की सिफ़ारिश की जाए।

हस्ताक्षरः____________________ तिथिः__________

सम्पर्क करने का पता टेलिफ़ोन नम्बर फ़ैक्स नम्बर तथा ई मेल पता ____________________

संलग्नकों की सूची